Revision of Pay Scales of Section Controllers to Chief Controllers on Indian Railways

6964. SHRI SHASHI BHUSHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that pay scales of Section Controllers to Chief Controllers ranged between Rs. 260/- to 575/- in the year 1930 and at present in 1970 the pay scales range between Rs. 250/- to Rs. 575/-; and

(b) if so, the reasons why there has been no upward revision for this category of staff known to form the hub of all operating activity of the Railways and what the Railways propose to do for this stagnating community prior to recommendation of III Pay Commission?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NANDA): (a) and (b). The scales of pay for the category of Controllers since 1930 are shown in the statement laid on the Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-3261/70].

It will be seen therefrom that there has been a general improvement in the scales of pay as compared to the post-1931 scales. Government do not consider it appropriate to now undertake a revision of scale of pay of this category in isolation.

As for the stagnation of the Controllers referred to, orders have been recently issued providing relief in the form of personal pay for the non-Gazetted staff who have been or will be stagnating at the maximum of their pay scale for 2 years or more.

बड़ी लाइनों और छोटी लाइनों के लिए चार पहियों वाली और आठ पहियों वाली सैलून कारें

6965. **श्री शशि भूषण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चार पहियों वाली और आठ पहियों वाली कितनी रेलवे सैलून कारें हैं ;

(ख) उनमें से कितनी छोटी लाइन पर चलती हैं और कितनी बड़ी लाइनों पर चलती हैं ;

(ग) उनमें से कितनी वातानुकूलित हैं और कितनी नहीं ;

(घ) दस वर्ष पूर्व इन सैलून कारों की संख्या कितनी थी और 1969, अन्त में इनकी संख्या कितनी है ;

(ङ) वर्ष में कितनी सैलून कारों का निर्माण होता है ; और

(च) उनके लिये शेड की क्या व्यवस्था की गई है और एक रेलवे डिवीजन में उपलब्ध शेड की क्षमता कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) सैलूनों का निर्माण नहीं हो रहा है।

(च) इस प्रयोजन के लिए किसी विशेष शेड का निर्माण नहीं किया जाता ।

रेलवे मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (राज भाषा) का पद

6966. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व उनके मंत्रालय में संयुक्त निदेशक (राज भाषा) का एक पद बनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त निदेशक (राज भाषा) के पद पर एक रेल अधिकारी की नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

रेलवे द्वारा बनायी जा रही शिक्षा संस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी

6967. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे द्वारा किन-किन स्थानों पर हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा इण्टर कालेज चलाये जा रहे हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्कूल तथा कालेज में प्रिंसपलों, प्रशिक्षित स्नातकों तथा अध्यापकों तथा प्रशिक्षित स्नाकोत्तर अध्यापकों अथवा प्राध्यापकों के पृथक पृथक कितने पद हैं और उनमें से कितने पदों पर उक्त व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) उनमें से कितने अध्यापक तथा प्रिंसिपल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चौथी योजना में मध्य प्रदेश में रेलवे द्वारा घर पर माल पहुंचाने और घर से माल ले जाने की व्यवस्था

6968. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे द्वारा घर पर माल पहुंचाने और घर से माल ले जाने की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह सेवा किन-किन नगरों में उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं। इस समय मध्य प्रदेश के शहरों में रेलवे द्वारा घर से घर तक माल पहुंचाने की व्यवस्था करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) ऐसी सेवा की व्यवस्था करने के बारे में उस यातायात की सम्भावनाओं के आधार पर विचार किया जाता है जिसके रेलवे की ओर आकर्षित होने की सम्भावना है। और साथ ही यातायात इतना हो कि इस सेवा को चलाने के लिए कोई उपयुक्त ठेकेदार इस ओर आकर्षित हो सके।

भोपाल, जबलपुर और बिलासपुर में ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार किया गया है लेकिन यातायात की अपर्याप्त सम्भावनाओं को देखते हुए वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया। किन्तु इन्दौर में पार्सल और माल यातायात के लिए एक नगर बुकिंग एवं गली से एकत्रित करने और सुपुर्द करने की सेवा मौजूद थी जिसे चलाने के लिए ठेकेदार द्वारा राजी न होने के कारण 1-2-69 से बन्द कर दिया गया था। इस एजेंसी को फिर से खोला जा रहा है और एक नया ठेकेदार नियुक्त किया जा रहा है।

Promotion of Officers to Junior Administrative Grade on Railways

6969. SHRI VIRBHADRA SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what are the rules and regulations governing the promotion of the Traffic (Trans-